(17)

संख्याः- 872 /VI(1)/2011-03(25)/2010

प्रेषक,

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 3/ मार्च, 2011

विषयः-विभागीय भवनों की मरम्मत हेतु धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति सहित धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर के विभागीय भवनों की मरम्मत मद के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आगणन का टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 4.93 लाख **(₹ चार लाख तिरानब्बे हजार मात्र)** की लागत के प्राक्कलन पर प्रशासकीय तथा व्यय की स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 2.50 लाख **(₹ दो लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(2) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(3) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(6) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

..2

(1)

(9) एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

(10) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

(11) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) आवंटित धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 में रखा जाय तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार भुगतान किया जाय।

(13) उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–48–विभागीय भवनों की मरम्मत–24–वृहत्त निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

(14) उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–1022/XXVII(2)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–872/VI(1)/2011–03(25)/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव–मा0 पर्यटन मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, हरिद्वार।
9– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।